

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

वनाम

कुर्डाराम

राजेन्द्र प्रसाद झाड़ि

दावा बाबत :- O.R.T Act

मुकदमा नम्बर :- 87/2013

निर्णय दिनांक :- 29.11.2021

वादी की ओर से वकील मुंशी राम गोखामी की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील शरजीत बिजारी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा बुंगराना के खाता सं० 300/417 के खासरा सं० 302/2 की 0.152 हेक्टेयर पर सं० 303 की 1.302 कुल 1.454 हेक्टेयर खारानी खेतदारी में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दानाराम के नाम कर 0.285 हेक्टेयर प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दानाराम के नाम कर 0.285 हेक्टेयर व प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दानाराम के नाम कर 0.607 हेक्टेयर भूमि के नाम व रोही बुंगराना के खासरा सं० 303/4 की 0.025 हेक्टेयर भूमि जो प्रतिवादी परमेश्वरी पुत्री पुनीराम व कुर्डाराम पि० मु० पुनीराम के नाम से डर है, उसके ससोज पत्नी कुर्डाराम पुनीराम, सुमन, पुजा, आशीष पि० कुर्डाराम जए साकिन बुंगराना संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के व प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दानाराम, कल्ला पि० पनाराम डर पनालाल जए सा० बुंगराना संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के अनुसार खेतदार काश्तकर हैं। वादक्रम में राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दानाराम व पुनीराम, कुर्डाराम पुत्र पुनीराम का नाम कलमजून किया खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। गौकड़ वती अउर वामस्व रिकार्ड जमाबंदी कुल्लु भिशा यह पचा डिक्री आज दिनांक 29.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

